<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री राकेश कुमार रस्तोगी, एडवोकेट एवं श्री अतुल कुमार सक्सेना, एडवोकेट, गायत्री आश्रम, 417 / 265, निवाजगंज, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**50 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अतुल कुमार सक्सेना, अधिवक्ता।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-50 / 11, दिनांक 12.05.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **सिविल और इलेक्ट्रिकल कान्ट्रेक्टर द्वारा समाधान योजना अपनाने पर कम दर पर टैक्स काटने के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है ?**

2. फर्म की ओर से श्री अतुल कुमार सक्सेना, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा लिखित स्पष्टीकरण भी दाखिल किया गया है तथा बताया गया कि उक्त स्कीम के पैरा-2 के सम्बन्ध में जारी circular no. Vidhi-4 (2) civil & elect. contractor samadhan yojna-7 (2010-11) / 1687 / 1011078 / com. tax dated 31.12.2010 के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्तियाँ है जिसका समाधान वह चाहते हैं।

3. कोई आख्या प्राप्त नहीं।

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि व्यापारी द्वारा पूछा गया प्रश्न उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) (a) (b) (c) (d) (e) की विषय वस्तु नहीं है। अतः व्यापारी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 30 जून, 2011

ह0 / 30.06.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।